संख्या-184/2015/1045/22-4-15-48(30)/14

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-14 सितम्बर,2015

विषय-कारागार विभाग में ई-प्रिजन योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-32066/शोध एवं प्र0सु0अनु0-5/ई-प्रिजन/15, दिनांक- 05 अगस्त, 2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-46/2015/154/22-15-48(30)/14, दिनांक- 18 फरवरी, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कारागार विभाग में ई-प्रिजन योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु कुल स्वीकृत रू0 429.78 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 2,79,00,000/-(रूपया दो करोड़ उन्नयासी लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरण/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

क्र0	कार्य/मद	अनुमानित लागत
1	कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा लेन/नेटवर्किंग की व्यवस्था	18348249.00
2	मुलाकात पर्ची काउण्टर की व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि	2047553.00
3	मैनपावर की व्यवस्था	4332510.00
4	साफ्टवेयर को आनलाइन संचालित करने हेतु 01 वर्ष की अवधि हेतु ब्राण्डबैण्ड के देयकों हेतु	950400.00
5	कम्प्यूटर हार्डवेयर के समुचित रख-रखाव हेतु फर्नीचर की व्यवस्था	1821288.00
6	प्रशिक्षण तथा वर्कशाप एवं ट्रेवलिंग व कन्टीजेंसी हेतु एनआईसी को देय धनराशि	400000.00
	योग-	27900000.00

(क) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख) आपूर्ति किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित संस्था को होगा।

(ग) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(घ) उपकरणों का क्रय करते समय क्रय सम्बन्धी नियमों का अनुपलान सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार होगा।

(ड) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31.03.2016 तक कर लिया जाय।

(च) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(छ) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर व्यय किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-17-ई-प्रिजन कार्ययोजना-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर क्रय मद में उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30.03.2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या-184/2015/1045(1)/22-4-15-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in